संख्याः 1213/X-3-20/2(30)/2020

प्रेषक,

सत्यप्रकाश सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग-3

देहरादूनः दिनांक 04 सितम्बर, 2020

विषयः जनपद पौड़ी गढ़वाल में आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत कोटद्वार क्षेत्र में एक 33/11 के0वी0 सबस्टेशन/उप खण्ड कार्यालय के निर्माण हेतु 0.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-539/FP/UK/SubStation/44563/2020, दिनांक 24 अगस्त, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पौडी गढ़वाल में आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत कोटद्वार क्षेत्र में एक 33/11 के0वी0 सबस्टेशन/उप खण्ड कार्यालय के निर्माण हेतु 0.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ0सं0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 एवं भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है, के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किया जाना प्रस्तावित है-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन-लाईन अपलोड करेगा, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन-लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कॉरपोरेशन बैंक में ऑन-लाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान

क्रमशः 2

Scanned with CamScanner

के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन-लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन-लाईन अपलोड करेगा, जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन-लाईन हार्ड कापी प्रेषित किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियो एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि / 99 रू0 प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जायेगा।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

संख्या: ——— (1)/X-3-20/2(30)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, पौडी।
4. जिलाधिकारी, जनपद-पौडी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौड़ी।
7. गार्ड फाईल।

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner